भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *197
जिसका उत्तर 12 मार्च, 2025 को दिया जाना है
21 फाल्गुन, 1946 (शक)

डिजिटल ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल गांव

***197. श्री जी. सेल्वम**:
श्री नवसकनी के.:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में डिजिटल ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु सहित राज्यवार अब तक कितने गांव शामिल किए गए हैं;

(ख) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जा रही प्रमुख सुविधाएं और सेवाएं क्या हैं;

(ग) इस पहल के अंतर्गत कितने सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) स्थापित किए गए हैं;

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों में इंटरनेट सुविधा की स्थिति क्या है;

(ड.) क्या इन गांवों में इंटरनेट सेवाओं की गति और कवरेज बढ़ाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या डिजिटल साक्षरता, बुनियादी ढांचे या बिजली आपूर्ति की कमी जैसे मुद्दों से कार्यक्रम की प्रभावशीलता पर असर पड़ा है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(छ) क्या डिजिटल ग्राम कार्यक्रम में महिलाओं और अनुसूचित जातियों/जनजातियों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के प्रावधान हैं; और

(ज) ग्रामीण महिलाओं में डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता बढ़ाने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से **(ज)**: एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

"डिजिटल गांव कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल गांव" के संबंध में दिनांक 12.03.2025 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *197 के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र

(क) और **(ख):** इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 31.10.2018 को 'डिजिटल गांव प्रायौगिक परियोजना' को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य देश भर के 700 गांवों (राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्रों) के प्रत्येक जिले से एक गांव) में शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास सेवाएं सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइट और वित्तीय समावेशन सेवाएं, साथ ही सरकार से नागरिक सेवाएं और व्यवसाय से नागरिक सेवाएं प्रदान करना है। यह परियोजना 31 मार्च, 2024 में सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। इस परियोजना के तहत तमिलनाडु में कुल 32 गांवों को शामिल किया गया है।

देश भर में परियोजना के अंतर्गत शामिल गांवों की संख्या का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न है। परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और बंद हो गई है तथा प्रमुख सेवाएँ निम्नलिखित हैं:

i. शिक्षा सेवाएं: इस परियोजना के अंतर्गत प्रदान किए गए पाठ्यक्रम - बेसिक कंप्यूटर कोर्स (बीसीसी), कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट (सीसीसी), टैली-कौशल प्रमाण पत्र, सूचना प्रौद्योगिकी में बेसिक कोर्स (बीसीआईटी)।
ii. अतिरिक्त शिक्षा: प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण, कैड (कम्प्यूटर एडेड डिजाइन) की बुनियादी शिक्षा
iii. स्वास्थ्य सेवाएँ: टेली-स्वास्थ्य और टेली-पशु चिकित्सा परामर्श
iv. वित्तीय समावेशन जागरूकता कार्यक्रम
v. सौर स्ट्रीट लाइट
vi. (क) ऑटोमोटिव तकनीशियन, (ख) हैंडसेट मरम्मत, (ग) फील्ड तकनीशियन - घरेलू उपकरण, (घ) इलेक्ट्रिकल तकनीशियन के क्षेत्र में कौशल विकास।

(ग): डिजिटल गांव प्रायौगिक परियोजना के अंतर्गत सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) स्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं था।

(घ): डिजिटल गांव प्रायौगिक परियोजना के तहत गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था नहीं की गई थी। इस परियोजना को प्रकार्यात्मक सीएससी की सहायता से कार्यान्वित किया गया है, सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने बताया कि डिजिटल गांव प्रायौगिक परियोजना के तहत शामिल 700 गांवों में स्थित सीएससी केंद्र पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

(ड.): दूरसंचार विभाग डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के माध्यम से देश भर के सभी गांवों में 4जी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब तक शामिल नहीं किए जा सके 36,536 गांवों/स्थानों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। फरवरी 2025 तक 21,577 गांवों/स्थानों को शामिल किया जा चुका है।

दूरसंचार विभाग डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के माध्यम से निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है: (i) सभी शामिल किए गए गांवों में पूरी तरह से 4जी कवरेज उपलब्ध करना; और (ii) संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत सभी गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करना। 4जी सेवाएं ब्रॉडबैंड स्पीड बेहतर करती हैं जो वीडियो स्ट्रीमिंग सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए सहायक होती हैं। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत , बीएसएनएल प्रत्येक ग्रामीण घर में कनेक्शन के लिए कम से कम 25 एमबीपीएस की गति सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त बैंडविड्थ उपलब्ध कराएगा।

04.08.2023 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट चरण-I और चरण-II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, शेष 42,000 ग्राम पंचायतों (लगभग) में 10 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव सहित नेटवर्क के निर्माण के लिए डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव (डीबीओएम) मॉडल के तहत संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को मंजूरी दी है।

(च): इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पहले से मौजूद बुनियादी ढांचे जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी (भारतनेट और अन्य उपलब्ध कनेक्टिविटी) और प्रकार्यात्मक/संचालनशील सीएससी का उपयोग किया गया। इसके अलावा, डिजिटल गांव प्रायौगिक परियोजना की पहल ने डिजिटल पाठ्यक्रमों पर प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन जागरूकता कार्यक्रम और प्रत्येक गांव में 8 सौर लाइटों का प्रावधान करके बेहतर टिकाऊ बुनियादी ढांचे के माध्यम से डिजिटल साक्षरता का विस्तार किया है।

(छ) और **(ज):** डिजिटल गांव प्रायौगिक परियोजना किसी समुदाय/लिंग/समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के लिए नहीं है। हालाँकि, सभी ग्रामीण निवासियों के लिए डिजिटल समावेशन, डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता को बढ़ावा देना इस परियोजना के उद्देश्य हैं, जैसा कि पैरा (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत शिक्षा सेवाएँ (पाठ्यक्रम-बेसिक कंप्यूटर कोर्स, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर, टैली- कौशल प्रमाण पत्र, सूचना प्रौद्योगिकी में आधारभूत पाठ्यक्रम), प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण, मौलिक सीएडी (कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन), स्वास्थ्य सेवाएँ (टेली-हेल्थ परामर्श और टेली-पशु चिकित्सा परामर्श), वित्तीय समावेशन जागरूकता कार्यक्रम और (क) ऑटोमोटिव तकनीशियन, (ख) हैंडसेट मरम्मत, (ग) फील्ड तकनीशियन - घरेलू उपकरण, (घ) इलेक्ट्रिकल तकनीशियन के क्षेत्र में कौशल विकास की पेशकश की गई।

******

अनुबंध-I

डिजिटल गांव प्रायौगिक परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए गांवों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गांवों की संख्या
1	अंडमान निकोबार	1
2	आंध्र प्रदेश	13
3	अरुणाचल प्रदेश	21
4	असम	33
5	बिहार	38
6	छत्तीसगढ	27
7	दादर नगर हवेली	1
8	दमन और दीव	2
9	गोवा	2
10	गुजरात	33
11	हरियाणा	22
12	हिमाचल प्रदेश	12
13	जम्मू और कश्मीर	20
14	झारखंड	24
15	कर्नाटक	30
16	केरल	14
17	लद्दाख	2
18	लक्षद्वीप	1
19	मध्य प्रदेश	51
20	महाराष्ट्र	34
21	मणिपुर	16
22	मेघालय	11
23	मिजोरम	8
24	नगालैंड	11
25	ओडिशा	30
26	पुदुचेरी	4
27	पंजाब	22
28	राजस्थान	33
29	सिक्किम	4
30	तमिलनाडु	32
31	तेलंगाना	30
32	त्रिपुरा	8
33	उत्तर प्रदेश	75
34	उत्तराखंड	13
35	पश्चिम बंगाल	22
कुल		**700**

*****